Shri Arvind Kejriwal Honourable Chief Minister of Delhi

10 December 2019

Subject: Petition for Adequate Housing for the Homeless

Dear Shri Kejriwal ji,

On the occasion of Human Rights Day, we, the undersigned homeless residents of Delhi, are writing to seek your urgent intervention to help us realize our human right to adequate housing, through the provision of permanent, secure, and dignified housing.

We are grateful to the Delhi government and commend your efforts to address homelessness, especially when compared to other cities in India. While Delhi has the highest number of shelters—almost 200—the current shelters only accommodate about 20 per of the city's homeless population. Independent experts and civil society organizations estimate that Delhi has between 150,000 and 200,000 homeless persons. The majority of us are still living out on the streets in precarious locales, and witness multiple violations of our human rights on a daily basis, most significantly of our right to live with dignity. Amongst us, the women, children, persons with disabilities, and older persons face the worst impacts of being without a home.

We have actively participated in the 'Campaign for Adequate Housing for the Homeless' coordinated by Housing and Land Rights Network (HLRN). This campaign aims to consolidate our long-time demands for permanent and adequate housing. As part of this Campaign, our children had also sent you postcards expressing their dreams and desires for a secure home, where they can grow, study, and live safely. While shelters are an important measure to assist us from facing the hardships on the streets, they are not a permanent solution and only provide short-term relief. We all require a home with privacy and security, for ourselves and our families, in which we can live in peace and dignity.

We are thus requesting your government to:

- Provide us with permanent, adequate housing, with basic facilities.
- Facilitate our access to affordable sources of finance, to enable us to access adequate housing, including rental housing, through measures such as monthly rental vouchers.
- Improve facilities in existing shelters, including removal of barriers to entry; regular maintenance and cleanliness; adequate water and sanitation facilities; and secure spaces to store our belongings, *thelas*, rickshaws, and other work-related implements.
- Increase the number of shelters for families (with partitions for privacy), and in the number of special shelters for persons with disabilities, older persons, and single women, including single mothers, amongst others.
- Provide government identification documents and access to entitlements, including pension/social security benefits, ration cards, and voter cards.
- Establish adequate hostels, including separate hostels for working men and women.
- Develop concrete season-related action plans to protect us from the extreme heat, rain, and cold.
- Provide adequate housing, including special shelters, hostels, and affordable housing options for transgender and gender non-conforming persons (GNCs) living on the streets.

We thank you for your attention to these important issues and look forward to your positive and immediate response.

Sincerely,

श्री अरविन्द केजरीवाल माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार

10 दिसम्बर 2019

विषय: बेघर लोगों के लिए उपयुक्त आवास की याचिका

माननीय श्री केजरीवाल जी.

मानव अधिकार दिवस के अवसर पर हम दिल्ली के बेघर निवासी, इस पत्र के माध्यम से आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे आवास के मानवाधिकार को साकार करें और त्वरित हस्तक्षेप द्वारा हमें स्थायी, सुरक्षित, एवं सम्मानजनक आवास प्रदान करें |

हम दिल्ली सरकार के आभारी हैं और अन्य राज्यों की तुलना में आपकी सरकार द्वारा बेघरों के लिए किये गए कार्य की अत्यंत प्रशंसा करते हैं | हालांकि दिल्ली में सबसे अधिक—लगभग 200—आश्रय गृह (शेल्टर) हैं लेकिन वो शहर की कुल बेघर आबादी के 20 प्रतिशत लोगों के लिए ही पर्याप्त हैं | विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों के आंकलन के अनुसार दिल्ली में बेघरों की अनुमानित संख्या 1,50,000 से 2,00,000 है | हम में से अधिकांश लोग सड़क के किनारे बिना बुनियादी सुविधायों के असुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं | प्रतिदिन हमारे सम्मान के साथ जीने के अधिकार तथा कई अन्य मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है | विशेषकर महिलायों, बच्चों, बुज़र्गों, और विकलांग लोगों को बेघर होने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है और मानसिक एवं शारीरिक यातनाओं से गुजरना पड़ता है |

हम लोगों ने आवास और भूमि अधिकार संगठन (HLRN) द्वारा संचालित 'बेघरों के लिए उपयुक्त आवास' अभियान में सिक्रिय रूप से भाग लिया है | इस अभियान का उद्देश्य हमारे उपयुक्त आवास की माँग को मजबूती प्रदान करना है, जिसकी माँग हम लम्बे समय से कर रहे हैं | इस अभियान के माध्यम से हमारे बच्चों ने आपको पोस्ट कार्ड भेजे जिसमे बच्चों ने सुरक्षित घर के लिए अपनी मंशा और सपनों को दर्शाया था ताकि वह सुरक्षित वातावरण में बढें और शिक्षा प्राप्त करें | हालांकि आश्रय गृह सड़क की चुनौतियों से निपटने का एक महत्त्वपूर्ण उपाय है, लेकिन यह एक अस्थायी विकल्प है और केवल कुछ समय के लिए राहत प्रदान करता है | हम सबको एक स्थायी घर चाहिए जहां हम अपने परिवारों के साथ बिना किसी भय के, निजता, सुरक्षा, एवं सम्मान के साथ, एक आम नागरिक की तरह जीवनयापन कर सकें.

आपकी सरकार से हमारा अनुरोध है की:

- उपयुक्त एवं स्थायी आवास का प्रावधान करें जिसमें बुनियादी सुविधाएं हो
- आर्थिक मदद प्रदान करें—जैसे मासिक किराया वाउचर—ताकि किराये के मकान तक हमारी पहुँच हो
- मौजूदा आश्रय गृहों के सुविधायों में सुधार हो, जैसे साफ़ सफाई, पानी, मरम्मत कार्य, निजी सामान रखने के लिए व्यवस्था, तथा रिक्शा, ठेला व रोज़गार से जुड़े उपकरण सुरक्षित रखने की व्यवस्था
- परिवारों के लिए बने आश्रय गृह, तथा विकलांगों, बुज़र्गों, व एकल महिलयों के लिए विशेष आश्रय गृहों की संख्या को बढाया जाये | विशेषकर परिवारों के लिए बने आश्रय गृहों में निजता का प्रबंध हो
- सरकारी पहचान पत्र का प्रावधान हो तथा पेंशन/सामाजिक सुरक्षा, राशन कार्ड्, और वोटर कार्ड् जैसे सरकारी सुविधायों तक पहुँच हो
- कामगार पुरुष और महिलायों के लिए उपयुक्त हॉस्टल की व्यवस्था हो
- हर मौसम के अनुसार ठोस योजना बने ताकि भीषण गर्मी, सर्दी, और बारिश से हमारा बचाव हो
- सड़क पर रह रहे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए उपयुक्त आवास (जैसे विशेष शेल्टर, हॉस्टल, किफायती मकान) का प्रबंध हो

हम आपके द्वारा किये गए कार्य का धन्यवाद् करते हैं और आपसे सकारात्मक एवं त्वरित सहयोग की अपेक्षा करते हैं |

आभार सहित